

**न्यायालय—श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)**

आप. प्रक. क.—438 / 2013

संस्थित दिनांक—10.06.2013

फाइलिंग नं.—234503000212013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—रूपझर,  
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**// **विरुद्ध** //

परमेश पिता सोमाजी मरावी उम्र 30 साल जाति गोंड,  
निवासी ग्राम बिजोरा थाना रूपझर जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपी**// **निर्णय** //**(आज दिनांक—18 / 04 / 2016 को घोषित)**

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—452, 323, 294, 506(बी) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—11.04.2013 को शाम के 06.30 बजे फरियादी नंदकिशोर मरावी के मकान के अन्दर ग्राम बिजोरा थाना क्षेत्र रूपझर में फरियादी नंदकिशोर को उपहति कारित करने की तैयारी के साथ लकड़ी लेकर प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया एवं फरियादी नंदकिशोर के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की तथा लोकस्थान के समीप फरियादी नंदकिशोर को मारदचोद, बहनचोद की अश्लील गालियाँ देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित किया व फरियादी नंदकिशोर को भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी नंदकिशोर ने दिनांक—11.04.2013 को आरक्षी केन्द्र रूपझर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उक्त दिनांक को शाम के करीबन 06.30 बजे वह पानी लेने हैण्ड पम्प जा रहा था तो उसके पड़ौसी परमेश की माँ सनोताबाई उससे कहने लगी कि वह परमेश के मुर्गी के पैसे क्यों नहीं देता तो उसने बोला कि परमेश को पता है आप क्यों बोल रही हो। इतने में परमेश आया और उसे मादरचोद, बहनचोद की गालिया देने लगा तथा बोला कि उसकी माँ से जबान लड़ाता है। वह कुछ नहीं बोला तथा घर के अन्दर चला गया तो

परमेश बांस की लकड़ी लेकर उसके घर के अन्दर आया तथा माँ बहन की गन्दी गालिया देकर बांस के डण्डे से उसके सिर पर, दोनों हाथों में एवं पीठ पर मारा जिससे वह वहीं पर गिर पड़ा। वह चिल्लाया तो परमेश वहाँ से भाग गया तथा जाते-जाते बोला आईदा जबान लड़ाया तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी परमेश विरुद्ध अपराध क्रमांक-32/13, धारा 452, 323, 294, 506 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी से घटना में प्रयुक्त सामग्री जप्त की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-452, 323, 294, 506(बी) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत नंदकिशोर ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323, 294, 506(बी) के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा शेष अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-452 का विचारण पूर्ण किया गया। आरोपी ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फँसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-11.04.2013 को शाम के 06.30 बजे फरियादी नंदकिशोर मरावी के मकान के अन्दर ग्राम बिजोरा थाना क्षेत्र रूपझर में फरियादी नंदकिशोर को उपहति कारित करने की तैयारी के साथ लकड़ी लेकर प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

5— फरियादी नंदकिशोर (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी परमेश को जानता है। घटना उसके कथन से लगभग एक वर्ष पूर्व शाम के 05.00 बजे बिजोरा की है। वह पानी लेने के लिये हैंड पम्प जा रहा था तो उसके पड़ोसी परमेश की माँ आई और उससे कहने लगी कि पुराने पैसे को क्यों नहीं देता उसने बोला कि परमेश को क्यों नहीं बोलते तो उसके बाद परमेश आया और गाली-गलौच करने लगा

फिर वह अपने घर चला गया। आरोपी ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाना रूपझर में दर्ज करवायी थी जो प्रदर्श पी-1 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसने घटना के संबंध में बताया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी उसके घर के अन्दर बांस का डण्डा लेकर आया था और उसके दोनों हाथ एवं सिर पर मारा था जिससे वह वही पर नीचे गिर गया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसे आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी-2 के अ से अ भाग का कथन दिया था। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि पुलिस ने घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-3 बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल का नजरी नक्शा पुलिस ने उसके समक्ष नहीं बनाया था एवं पुलिस के कहने पर उसने प्रदर्श पी-3 के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिये थे उस पर क्या लिखा था उसने पढ़कर नहीं देखा था और न ही पुलिस ने उसे पढ़कर सुनाया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी परमेश उसके घर के अन्दर किसी प्रकार की कोई लकड़ी लेकर मारने के उद्देश्य से नहीं आया था और न ही उनके बीच कोई मारपीट हुई थी।

6— साक्षी/विवेचनाकर्ता श्रीचंद पांचे (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में किये हैं कि दिनांक-12.04.2013 को थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुये उसे अपराध क्रमांक-32/13 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने विवेचना के दौरान धारा-452, 294, 323, 506 भा.दं.वि. के अन्तर्गत प्रार्थी नन्दकिशोर उर्फ दरगु की निशादेही पर मौके पर जाकर मौका नक्शा प्रदर्श पी-3 तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने उक्त दिनांक को प्रार्थी नन्दकिशोर, गवाह काशीराम, अनिताबाई एवं दिनांक-23.04.2013 को साक्षी अमीलाल, रवि के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने विवेचना की कार्यवाही अपने मन से की थी।

7— प्रकरण में अभियोजन ने मात्र फरियादी नंदकिशोर अ.सा.1 का न्यायालयीन परीक्षण करवाया है। फरियादी ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में इस बात से इन्कार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी उसके घर के अन्दर घुसा था और बांस की लकड़ी से उसके साथ मारपीट की थी। शेष अभियोजन साक्षियों का उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने से

न्यायालयीन परीक्षण नहीं हुआ है। फरियादी द्वारा स्वयं यह अस्वीकार करने से की घटना दिनांक को आरोपी हमला करने के आशय से तैयारी कर उसके घर में घुसा था यह नहीं माना जा सकता कि आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-452 के अन्तर्गत अपराध किया गया था। अतः आरोपी को सन्देह का लाभ दिया जाता है।

8— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी परमेश ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में फरियादी नंदकिशोर को उपहति कारित करने की तैयारी के साथ लकड़ी लेकर फरियादी नंदकिशोर के मकान में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया। अतएव आरोपी परमेश को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-452 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

9— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

10— प्रकरण में जप्तशुदा एक बांस का डण्डा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

सही /—  
(श्रीष कौलाश शुक्ल)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

सही /—  
(श्रीष कौलाश शुक्ल)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट